न्यायालय अनुमंडल दण्डाधिकारी, बगोदर–सरिया

रामसेवक राम उर्फ राम लखन मंडल बनाम चन्द्रिका मंडल वगै०

वाद संख्या – 140 / 2023

धारा – 144 द०प्र०सं०

आदेश की क्र०सं० और तिथि	पदाधिकारी का आदेश एवं हस्ताक्षर	आदेश प गई का के बारे टिप्पणी त सहि
9/11/23	आदेश अभिलेख उपस्थापित प्रश्नागत वाद की भूमि मौजा–सरिया खुर्द, थाना–सरिया अंचल– सरिया, जिला– गिरिडीह, खाता न०– 61, प्लॉट न०– 2824, रकवा– 09 डी०, मध्ये 06 डिसमील चौहद्दी– उ०– नीज मोकिर अल्हैया सुदामा देवी, द०– गांगो मोदी , पू०– नीज विक्रेता, प०– भुटक सुंडी पर वाद की कार्यवाई प्रथम पक्ष के आवेदन एवं थाना प्रभारी सरिया के जाँच प्रतिवेदन के आलोक में प्रारम्भ कर उभय पक्षों से कारण पृच्छा की माँग करते हुए दिनांक– 11.09.2023 को प्रश्नागत भूमि पर निषेधाज्ञा लागू किया गया। प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता ने कारण पृच्छा दाखिल कर बताया की उक्त भूमि प्रथम पक्ष की पत्नी सुदामा देवी को दो अलग–अलग एग्रीमेन्ट दिनांक 17.02.2022 एवं 08.03.2022 से हासिल है एवं प्रथम पक्ष के दखल कब्जे में है। प्रथम पक्ष के द्वारा अपने दावा के समर्थन में निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये गए। 1. एग्रीमेन्ट दिनांक 17.02.2022 की छायाप्रति। 2. एग्रीमेन्ट दिनांक 08.03.2023 की छायाप्रति। द्वितीय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा कारण पृच्छा दाखिल कर बतलाया गया कि प्रश्नगत वाद की विवादित भूमि खतियानी है जो खतियान नाम नेमना सुंडी वल्द करमा सुंडी वगै० नाम पर दर्ज है। द्वितीय पक्ष खतियानी रैयत के वंशज हैं तथा आपसी घरैया बदलनामा के आधार पर प्रश्नागत भूमि पर कायम काबिज दखलकार चले आ रहे हैं धोकल महतो वगै० बनाम पोखन महतो वगै० के बीच दिनांक 20.10.1987 को बदलनामा में द्वितीय पक्ष के पिता एवं चाचा को हासिल है उसी समय से 4 डी० भूमि पर पुराना मकान बना कर दखलकार है एवं 2 डी० पर गोहाल स्थित है एवं खाली जमीन पर अनेकों प्रकार का पेड़–पौधा लगाया गया है। द्वितीय पक्ष का आगे कहना है कि प्रथम पक्ष अनिबंधित एग्रीमेंट के आधार पर दावा कर रहें हैं जो कानुनी रूप से वैध नहीं है। थाना प्रभारी सरिया के द्वारा उक्त वाद की भूमि पर टकराव होने का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। उभय पक्षों के अधिवक्ता के कथन को सुनने एवं अभिलेख में संधारित कारण पृच्छा, जाँच प्रतिवेदन एवं उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रस्तुत वाद बँटवारे तथा स्वत्व से संबंधित है। चुँकि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत बँटवारे अथवा स्वत्व का निर्धारण नही किया जा सकता । अतः प्रस्तुत वाद में कोई अंतिम आदेश पारित किया जाना न्यायोचित नही है। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 (4) के तहत वाद की कार्यवाई समाप्त की जाती है। उभय पक्ष वाद के निपटारे हेतु सक्षम न्यायालय जा सकते है। लेखापित एवं संशोधित, अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया। 9/11/23 अनुमंडल दण्डाधिकारी बगोदर–सरिया।	

Digitally signed by BIPIN KUMAR DUBEY
Date: 2024.06.22 12:45:37 +05:30
Location: 192.168.1.3